0/0 - 213

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लॉट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सत्यमेव जयते

दिनांक:07 जनवरी 2026

फाइल संख्या एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/1479

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)(अंचल)/निदेशक (पीडीनास)

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(प्र.से.प्र.), मुख्यालय / अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(आं.प्र.सं.)

विषय: वर्ष 2025 के लिए स्पैरो के माध्यम से समूह 'ए' और 'बी' पदों पर कार्यरत सभी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (एआईपीआर) प्रस्तुत करने- के संबंध में।

संदर्भ-

I. दिनांक 23.12.2024 का परिपत्र सं. एवीएस-18(1) 2020-एचआरएम-IX/30917 / 1163
II. दिनांक 27.09.2011 का का. एवं प्र.वि टी का.ज्ञा संख्या 11012/11/2007
III. दिनांक 23.11.2020 के सीवीसी कार्यालय आदेश संख्या 17/11/2020

महोदया/महोदय,

सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1)(iii) के अनुसार समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों पर कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को विरासत में मिली, स्वामित्व वाली, अधिग्रहित या पट्टे / गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के बारे में पूर्ण विवरण देते हुए एक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह तब भी लागू होता है जब संपत्ति उनके अपने नाम पर हो या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो।

> "समूह 'ए' और समूह 'बी' में शामिल किसी भी सेवा से संबंधित या किसी भी पद पर कार्यरत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसे विरासत में मिली अचल संपत्ति, उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अधिग्रहित अचल संपत्ति, या उसके द्वारा पट्टे पर या गिरवी रखी गई अचल संपत्ति, चाहे वह उसके नाम पर हो, उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, के संबंध में पूर्ण विवरण देना होगा।"

2. इसके अलावा, दिनांक 27.09.2011 के डीओपी एंड टी का.ज्ञा में भारत सरकार के निर्णय को भी अधिसूचित किया है कि केंद्रीय सिविल सेवा / पद के जो सदस्य निर्धारित समय सीमा के भीतर अर्थात अगले वर्ष की 31 जनवरी तक एआईपीआर जमा करने में विफल रहते हैं, उन्हें सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी एवं उनके वरिष्ठ पदों पर पैनलमें शामिल करने के लिए उनके नामों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सीवीसी के दिनांक 23.11.2020 के कार्यालय आदेश संख्या 17/11/2020 के अनुसार, संपत्ति रिटर्न दाखिल न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का पर्याप्त कारण है।

3. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इस वर्ष एआईपीआर जमा करने की सुविधा स्पैरो पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से अधिकारी लॉग इन कर सकते हैं और अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। मॉड्यूल की शुरुआत दिनांक 06 जनवरी, 2026 से होगी एवं दिनांक 31 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। स्पैरो पोर्टल पर वार्षिक अचल संपति रिटर्न (एआईपीआर) दाखिल करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:

I. **स्पैरो** पोर्टल पर लॉग इन करें।

II. लॉग इन करने के पश्चात, होम पेज के बाईं ओर उपलब्ध **आईपीआर** टैब को खोजें एवं उस पर क्लिक करें। यह उपयोगकर्ता को एक नई विंडो पर पुनः निर्देशित करेगा।

III. **आईपीआर (ईपीएफओ)** भाग के तहत, **आईपीआर** टैब पर क्लिक करें। निम्नलिखित दो विकल्प प्रदर्शित होंगे:

अ. घोषणा

आ. मेरी आईपीआर स्थिति

IV. एआईपीआर फाइल करने के लिए, **घोषणा** विकल्प पर क्लिक करें।

V. इसके बाद, **प्रासंगिक तिथि के अनुसार विवरण** का चयन करें।

VI. उपयोगकर्ता को तीन विकल्प प्रदान किए जाएंगे:

अ. नया घोषणापत्र भरें

आ. पिछले वर्ष की घोषणा से डेटा कॉपी करें

इ. शून्य घोषणा

VII. विवरण दर्ज करने के लिए **नई घोषणा भरें** पर क्लिक करें।

या

यदि कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना है तो **शून्य घोषणा** पर क्लिक करें।

VIII. उपयोगकर्ता :

अ. इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में

आ. भौतिक रूप से हस्ताक्षरित फॉर्म अपलोड कर सकता है।

IX. एआईपीआर फॉर्म खुलेगा। संबंधित फ़ील्ड में सभी आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक भरें।

X. एक से अधिक संपतियों का विवरण जोड़ने के लिए, पृष्ठ के नीचे उपलब्ध **प्लस (+) चिह्न** पर क्लिक करें।

XI. संपत्ति विवरण पूरा करने के पश्चात, रिटर्न जमा करने के लिए पृष्ठ के नीचे उपलब्ध **साइन एंड सबमिट** बटन पर क्लिक करें।

XII. कृपया ध्यान दें कि एक बार एआईपीआर जमा हो जाने के बाद, किसी भी संपादन या संशोधन की अनुमति नहीं है।

4.समूह 'ए' या 'बी' पद पर कार्यरत सभी अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एआईपीआर को नियत तिथि यानी 31 जनवरी, 2026 तक स्पैरो पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी।)

(उदय गुप्ता)
क्षेत्रीय.भ.नि.आयुक्त-II (एचआरडी-II)

07/01/26

प्रतिलिपि :

1) कें.भ.नि.आयुक्त के निजी सचिव को सूचनार्थ।

2) सभी प्रभारी अधिकारी (क्षेत्रीय कार्यालय / जिला कार्यालय)

3) क्षेत्रीय.भ.नि.आयुक्त (एनडीसी) को वेब अपलोड हेतु ।

(उदय गुप्ता)
क्षेत्रीय.भ.नि.आयुक्त- II (एचआरडी-II)